आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6 26.05.2011	**राज्यसात (Confiscetion) वाद संख्या–15/2010–11** **राज्य प्रति बसन्त साह एवं अन्य** **आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह राजसात बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी द्वारा, नगरउंटारी थाना कांड संख्या 24/2011 के दर्ज प्राथमिकी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारीके द्वारा राजसात प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। प्राथमिकी का सारांश है कि सरकारी जन वितरण प्रणाली का अन्नाज कालाबाजारी करने की सूचना प्राप्त होने के आलोक में श्री बसंत साह, पिता बिहारी साह, ग्राम चचेरिया, थाना नगरउंटारी, जिला गढ़वा के मकान में छापामारी की गयी। छापामारी के दौरान ट्रक संख्या JH03D-4501 पर 56+48=104 बोरा गेहूँ, जूट एवं प्लास्टिक के बोरे में लदा हुआ पाया गया। बसन्त साह के मकान एवं गोदाम से अनाज उक्त ट्रक पर लोड किया जा रहा था। मजदूर एवं वाहन चालक भाग गये। तत्काल ट्रक पर लदा 104 बोरा को जप्त कर जप्ती सूची तैयार की गयी एवं ट्रक सहित नगरउंटारी थाना में धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसका प्राथमिकी संख्या नगरउंटारी थाना कांड संख्या 24/2011 संधारित की गयी और अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी, नगरउंटारी द्वारा उचित माध्यम के द्वारा आरक्षी अधीक्षक, गढ़वा के ज्ञापांक 601/हि0शा0 दिनांक 22.03.2011 एवं 686/हि0शा0 दिनांक 29.03.2011 के द्वारा जप्ती सूची के अनुसार जप्त सामान (खाद्यान) 56+48=104 बोरा गेहूँ के साथ साथ ट्रक सख्या JH03D-4501 को भी राजसात करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही प्रतिवेदन में यह भी दर्शाया गया है कि जप्ती सूची के अनुसार जप्त प्रदर्श को उक्त ट्रक पर ही थाना परिसर में रखा गया है जिसको चूहा एवं कीड़ा के द्वारा बर्बाद किये जाने का जिक्र करते हुए वर्षा से सड़ने–गलने की सम्भावना भी जतायी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के पत्रांक 28/आ0 दिनांक 17.02.2011 में निहित अनुशंसा एवं नगरउंटारी थाना कांड संख्या 24/2011 की प्राथमिकी के आलोक में जप्त प्रदर्श खाद्यान्न (56+48=104 बोरा गेहूँ) जो ट्रक संख्या JH03D-4501 पर लदा हुआ पाया गया था और थाना	

परिसर नगरउंटारी में रखा गया है, को राजसात (Confiscation) वाद संख्या 15/2010–11 प्रारम्भ कर आरोपी श्री बसंत साह, पिता बिहारी साह, ग्राम चचेरिया, थाना नगरउंटारी, जिला गढ़वा तथा ट्रक संख्या JH03D-4501 के विरूद्ध जप्ती सूची के अनुसार जप्त खाद्यान्न (56+48=104 बोरा गेहूँ) के साथ उक्त कथित ट्रक के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु तिथि नियत करते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी।

तद्नुसार निर्धारित तिथि दिनांक 02.04.2011 को विपक्षी संख्या–1 श्री बसन्त साह, ग्राम चचेरिया के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से याचित कारणपृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है, के आलोक में आरोपी श्री बसन्त साह, ग्राम चचेरिया के सील गोदाम की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गढ़वा को आदेश निर्गत किया जाय। उक्त आदेश के अनुपालन में जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गढ़वा से याचित प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

इस वाद के (Confiscation) राजसात करने के प्रस्ताव के सन्दर्भ में सरकारी वकील से भी राय ली गयी जो इस वाद के साथ संलग्न है।

इस वाद के विपक्षी संख्या–1 श्री बसन्त साह की ओर से दाखिल की गयी कारण पृच्छा का अवलोकन किया। कारण पृक्षा में कहा गया है कि कथित कार्यवाही/वाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारीएवं अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। प्रतिवेदन में जप्त 354 बोरा गेहूँ एवं 250 बोरा चावल प्रत्येक 50 किलाग्राम को जन वितरण प्रणाली प्रक्रिया का खाद्यान्न होने का आरोप लगाया गया है और उसके लिए लिये राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके लिए नगरउंटारी थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया है जिसका नगरउंटारी थाना कांड संख्या 24/2011 प्राथमिकी संख्या संधारित की गयी है। इस प्राथमिकी के जप्ती सूची के गवाह श्री रूपेश कुमार हैं, जो आरोप नं0 1 बसन्त साह के दामाद हैं।

बसन्त साह स्वयं उस छापामारी के दौरान बीमार थे जो अभी भी उपचार में ही हैं। छापामारी के समय जप्ती सूची तैयार करने के दौरान श्री रूपेश कुमार के द्वारा अपने ससुर बसन्त साह की बीमारी का जिक्र करते हुए जप्त किये जा रहे गेहूँ और चावल के लिये उनकी ओर से दावा करते हुए खाद्यान्न खरीद बिक्री का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञप्तिधारी के बतौर व्यापार किये जाने की वास्तविकता को भी रखा गया। किन्तु प्रशासन के द्वारा श्री रूपेश कुमार

के द्वारा बताये गये वास्तविकता को अनसुनी कर हास्यास्पद ढंग से कथित खाद्यान्न को जप्त कर प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी, जबकि यह परिलक्षित है कि जप्त खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली प्रक्रिया का बताया तो गया है, किन्तु किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता या गोदाम की संलिप्तता नहीं दर्शाया गया है।

श्री बसन्त साह विपक्षी नं0 1 सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अन्न खरीदी एवं बिक्री अनुज्ञप्तिधारी है, जिसका अनुज्ञप्ति संख्या 14/1995 है और अद्यतन नवीनीकृत है के हैसियत से अन्न (गल्ला) का व्यापार करते हैं। इन 15 वर्षो के अन्दर इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। श्री साह एक वृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हो सकता है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर प्रशासन के द्वारा इस प्रकार बहकावे में झूठा केश दायर कर दिया गया हो।

प्रश्नगत प्राथमिकी के अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा अनुसंधान के क्रम में मुकदमा के तथ्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी से जानकारी ली गयी तो उनके द्वारा किसी भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दूकान या गोदाम प्रबंधक के भंडार की स्थिति में कमी नहीं बताया गया है। विपक्षी को ऐसी जानकारी प्रशासन से प्राप्त हुई है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा में यह भी कहा गया है कि गेहूँ और चावल नियंत्रण आदेश के अधीन नही है। मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न एवं जनवितरण, नयी दिल्ली के द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2002 को G.S.R(E) के अन्तर्गत E.C. Act, 1995 की धारा 3 के तहत शक्ति का व्यवहार करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है कि गेहूँ और चावल नियंत्रण आदेश के अधीन नहीं है और इस पर जारी आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार भी सभी आयुक्त/उपायुक्त के इस पत्र की प्रति जारी की है। झारखण्ड सरकार के पत्रांक 559 दिनांक 24.04.2002 के द्वारा गेहूँ और चावल तथा अन्य खाद्यान्न को नियंत्रण आदेश के अधीन नहीं होने तथा केन्द्र सरकार के आदेश के अन्तर्गत परमीट की आवश्यकता नहीं है का आदेश जारी किया गया है।

विपक्षी सं0–1 श्री बसन्त साह की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के समक्ष एक आवेदन देकर अनुरोध किया गया कि श्री साह के द्वारा M/S माँ लक्ष्मी भंडार, थोक विक्रेता खाद्यान्न, करहगर जिला रोहतास (बिहार) से व्यापार करते हैं कथित गेहूँ और चावल को Release कर दिया जाय। किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विद्वान न्यायालय को राज्यसात की

कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित कर दिया गया।

इस प्रकार बसन्त साह विपक्षी सं0 1 की ओर से अनुरोध किया गया है कि विचार कर गलत ढंग से जप्त किय गये गेहूँ और चावल जो खुले मैदान में रखा गया है की अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति पर गौर करते हुए जप्त किये गये खाद्यान्न गेहूँ और चावल को Release किया जाय तथा विपक्षी सं0 1 तहत विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई को समाप्त किया जाय।

इस न्यायालय के ज्ञापांक 56/न्या0 दिनांक 04.04.2011 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन जो अभिलेख के साथ संलग्न है, का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि इस वाद के प्राथमिकीकर्त्ता (सूचक) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी की उपस्थिति में श्री बसन्त साह, ग्राम चचेरिया, थाना नगरउंटारीके सी गोदाम की जाँच मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष की गयी है जो निम्न प्रकार है। :–

(1) श्री बसन्त साह के चचरिया अवस्थित आवास के ही दो कमरों एवं उनके आवास के सामने एक गोदाम, जिसे उपस्थित लोगों ने बताया कि वह श्री बसन्त साह का हो गोदाम है, में ताला लगाकर सील किया हुआ था। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि यह सील दिनांक 10.02.2011 को अनुमण्डल पदाधिकारी, नगरउंटारी के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी द्वारा लगाया गया है।

(2) गोदाम सील होने तथा न्यायालय द्वारा सोल तोड़ने के लिये किसी भी प्रकार का आदेश नही प्राप्त होने की स्थिति में सील गोदाम के अन्दर मौजूद किसी भी तथ्य की जाँच नही की जा सकी है।

(3) जाँच के समय श्री बसन्त साह उपलब्ध नही थे। उनके पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि वे काफी समय से बीमार चल रहे है, जिसके इलाज के लिये अक्सर बाहर जाना पड़ता है। उनके पुत्र अमर कुमार ने बताया कि उनका इलाज वर्तमान में दिल्ली में चल रहा है।

(4) सील गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्नों से संबंधित आवश्यक कागजातों की मांग किये जाने पर उनके पुत्र द्वारा निम्नांकित कागजात दिखलाये गये :–

(क) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, गढ़वा द्वारा निर्गत वाट/माप का अनुज्ञा–पत्र जो जनवरी 2012 तक के लिये सत्यापित था।

(ख) सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा द्वारा निर्गत ब्यापारी के रूप में काम करने के लिये अनुज्ञप्ति को छायाप्रति, जिसके सन्दर्भ में बताया गया कि मूल प्रति

नवीनीकरण के लिये बाजार समिति कार्यालय में जमा किया गया है। नवीनीकरण के लिये उनके द्वारा जमा की गयी शुल्क की राशि मो0 20/ (बीस) रूपये मात्र का प्राप्ति रसीद की मूल प्रति दिखलाया गया।

(ग) मेसर्स माँ लक्ष्मी भंडार थोक खाद्यान्न विक्रेता एवं कमीशन एजेन्ट, वट को खड़ारी, करहगर, रोहतास, बिहार द्वारा निर्गत पत्र तथा रिटेल इन्भायस, जो क्रमशः 06.02.2011, 07.02.2011 तथा 08.02.2011 के तिथि में निर्गत था। इसके अनुसार दिनांक 06.02.2011 को 100 बोरा में 50 क्वीन्टल चावल तथा 100 बोरा में 50 क्वीन्टल गेहूँ और दिनांक 07.02.2011 को 100 बोरा में 50 क्वींटल चावल तथा 110 बोरे में 55 क्वीन्टल गेहूँ प्रदर्शित है। इसी प्रकार दिनांक 08.02.2011 को मेसर्स माँ लक्ष्मी भंडार द्वारा श्री बसन्त प्रसाद के नाम 70 बोरा में 35 क्वींटल चावल और 150 बोरे में 75 क्वीन्टल गेहूँ निर्गत किया गया है।

(5) जाँच के समय मौके पर उपस्थित आस–पास के लोगों द्वारा श्री बसन्त साह एवं उनके सील गोदाम के बारे में लिखित बयान लिये गये हैं, के द्वारा बताया गया कि श्री बसन्त साह अन्नाज के पुराने व्यापारी हैं जो वर्षो से चावल, गेहूँ, दलहन, मक्का आदि अन्न का कारबार करते हैं। इनके द्वारा दूसरे राज्यों से अनाज क्रय कर स्थानीय खुदरा बिक्रेताओं को बिक्री किया जाता है। बयानकर्त्ता का बयान भी संलग्न किया गया है।

(6) श्री बसन्त साह के पुत्र के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.02.2011 के वाहन संख्या JH-3D-4501 से जो खाद्यान्न अनलोड किया जा रहा था, वह दिनांक 08.02.2011 को करहगर से खरीद किया गया था, उसी अनाज को शक के आधार पर जन वितरण प्रणाली का अनाज समझकर अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के निर्देश पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा गोदाम सील करने की कार्रवाई कर दी गयी।

(7) जाँच के समय उपस्थित नगरउंटारी के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी श्री सुबोध सोरेन जो स्वंय गोदाम के सील कर्त्ता एवं प्राथमिकी दर्ज करने वाले पदाधिकारी भी हैं, ने इस बात को स्वीकार किया कि गोदाम में पड़ा अनाज किसी भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता से संबंधित नही है। उनके द्वारा इस सन्दर्भ में पूर्व में इस कांड के अनुसंधानकर्त्ता को उपलब्ध करायी गयी जाँच प्रतिवेदन को प्रतियाँ भी उपलब्ध करायी गयी, जिससे अन्नाजों का जन वितरण प्रणाली से संबंधित नही होना स्वतः स्पष्ट है, जो संलग्न की गयी है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, जाँच क्रम में उपस्थित लिखीत बयानों के अवलोकन, जाँच के समय

श्री बसन्त साह के पुत्र द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातो एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी के लिखीत जाँचप्रतिवेदन के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षतः, कहा है कि सील गोदाम का अन्नाज किसी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओ से संबंधित नही है, बल्कि वह अन्नाज श्री बसन्त सह द्वारा करहगर के थोक खाद्यान्न विक्रेता मेसर्स माँ लक्ष्मी भंडार से क्रय किया गया अनाज ही हो सकता है।

सरकारी वकील से प्राप्त राय का भी अवलोकन किया जिसमें निम्नांकित तथ्य सुझाये गये है :–

(1) गेहूँ और चावल नियंत्रण आदेश (Control Order) के अन्तर्गत नही है।

(2) बसन्त साह उर्फ बसन्त प्रसाद एक उचित अनुज्ञप्तिधारी है, जो खाद्यान्न गल्ला का ब्यापार करते है।

(3) गेहूँ और चावल को जप्ती श्री बसन्त साह की अनुपस्थिति में हुई है, और वे जप्त खाद्यान्न का दावा करते है।

(4) जप्त गेहूँ और चावल किस सरकारी तंत्र का है का स्पष्ट उल्लेख किसी भी प्रतिवेदन में अंकित नही है, जो आवश्यक है।

इस प्रकार सरकारी वकील ने भी बसन्त प्रसाद के दावा में यथार्थ की असलियत बताते हुए गेहूँ और चावल Release करने के लिये न्यायालय का अधिकार क्षेत्रवताया है।

उल्लेखनीय है कि इस वाद के प्राथमिकी कर्त्ता सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी के द्वारा दिनांक 10.02.2011 को दायर प्राथमिकी संख्या नगरउंटारी थाना कांड संख्या 24/2011 के प्रथम सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) में ट्रक नं0 JH-03D-4501 पर लादे गये खाद्यान्न 56 बोरा तथा 48 बोरा कुल 104 बोरा गेहूँ की जप्ती सूची तैयार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध मानकर श्री बंसत साह, पिता–स्व0 बिहारी साह, साकिन–चेचरिया, थाना–नगरउंटारी, जिला–गढ़वा को आरोपित करते हुए उनके विरूद्ध जप्ती सूची के अनुसार ट्रक सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम को धारा 7 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस वाद के सूचक के द्वारा श्री साह के मकान के दो कमरे में एवं मकान के सामने के गोदाम में पाये गये 103+77+70 कुल 250 बोरा गेहूँ एवं 250 बोरा चावल को आवश्यक जाँच एवं कार्रवाई हेतु गवाहों के समक्ष सील किया गया था। किन्तु सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी ने अपने पत्रांक 04 दिनांक 17.02.2011 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के माध्यम से भेजे गये

राज्यसात के प्रस्ताव में प्राथमिकी में दर्ज खाद्यान्न 56+48=114 बोरा गेहूँ जो ट्रक पर लदा है के अतिरिक्त जो 250 बोरा गेहूँ और 250 बोरा चावल श्री साह के मकान एवं गोदाम में जाँच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सील किया गया था, को बिना सील तोड़े जाँच किये बगैर ही राजसात की कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर दी गयी है।

इस सन्दर्भ में न्यायालय के ज्ञापांक 81/विधि दिनांक 25.04.2011 के द्वारा सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी श्री सुबोध सोरेन से परस्पर विरोधी प्रतिवेदन समर्पित करने के लिये कारणपृच्छा को मांग अनुमण्डल पदाधिकारी, नगरउंटारी के माध्यम से की गई, जिसकी अग्रिम प्रति न्यायालय को दिनांक 29.04.2011 को प्राप्त है।

उपरोक्त कथित प्राप्त अग्रिम कारण पृच्छा में सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी ने प्रतिवेदित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के द्वारा मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरउंटारी के माध्यम से श्री साह के मकान एवं गोदाम पर बुलाया गया। मेरे पहुँचने के पूर्व ही अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के द्वारा श्री साह के मकान एवं गोदाम में भंडारित खाद्यान्न का छापामारी किया जा चुका था। मैं जब उनके बुलाने पर श्री साह के मकान एवं गोदाम पर पहुँचा तो मुझे गाड़ी में बैठाकर नगरउंटारी थाना ले गये और डिक्टेशन देकर F.I.R. लिखवाया गया एवं दबाव देकर दर्ज कराया गया।

पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के द्वारा दिनांक 17.02.2011 को भी उनके डिक्टेशन के अनुसार हो राज्यसात जाँच प्रतिवेदन पर पुनः दबाव देकर मुझसे हस्ताक्षर कराया गया।

साथ ही साथ सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी ने पुलिस अवर निरीक्षक जो इस वाद के अनुसंधानकर्त्ता हैं, को अनुसंधान के दौरान उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन को भी स्वीकार किया है और सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का उठाव एवं वितरण की जाँच करने तथा उनके द्वारा सही ढंग से उठाव एवं वितरण करने का भी प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः सूचक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में निहित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस वाद की प्राथमिकी एवं वाद में राज्यसात के लिये की गयी अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के दबाव में आकर किया गया है। साथ ही इस वाद से संबंद्ध किसी भी प्रतिवेदन में सील गोदाम के खाद्यान्न एवं प्राथमिकी के खाद्यान्न को जन वितरण प्रणाली प्रक्रिया नही बताया गया है।

अतः अभिलेख के साथ संलग्न श्री बसंत साह उर्फ बसन्त प्रसाद विपक्षी संख्या–1 की ओर से दाखिल कारण पृच्छा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा समर्पित सील गोदाम का जाँच प्रतिवेदन, इस वाद के सूचक श्री सुबोध सोरेन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी से प्राप्त कारणपृच्छा में निहित तथ्यों एवं सरकारी वकील, गढ़वा से प्राप्त विधि सम्मत राय प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त गहन बिचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चूकि गेहूँ और चावल नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नही है और सील किये गये गोदाम के खाद्यान्न में किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता या प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के प्रखण्ड स्तरीय गोदाम के भंडार की स्थिति में कमी नही दर्शाया गया है से स्पष्ट होता है कि सील गोदाम में जन वितरण प्रणाली प्रक्रिया का खाद्यान्न नही है।

दूसरी ओर बसन्त साह उर्फ बसन्त प्रसाद विपक्षी नं0–1 की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के जाँच के समय प्रस्तुत किया गया खाद्यान क्रय विक्री करने संबंधी अद्यतन नवीनीकृत अनुज्ञप्ति तथा खाद्यान्न क्रय की बिक्री रसीद आदि कागजात से भी सील गोदाम में क्रय की गयी ब्यापार का अन्न ही परिलक्षित होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के निर्देश पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी द्वारा दिनांक 10.02.2011 को श्री बसन्त साह उर्फ बसन्त प्रसाद विपक्षी सं0–1 के ग्राम–चेचरिया स्थित मकान के दो कमरे एवं उसके सामने अवस्थित अन्न गोदाम में किये गये सील को अनुमण्डल पदाधिकारी, नगरउंटारी की उपस्थिति में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी को सील तोड़कर श्री साह को Handover करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चूकि इस वाद में प्रश्नगत कांड के अनुसंधान कर्त्ता से उक्त कांड संख्या 24/2011 की प्राथमिकी के आलोक में अनुसंधान का अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त है और थाना प्रभारी नगरउंटारी के द्वारा उचित माध्यम से पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के पत्रांक 601/हि0 शा0 दिनांक 22.03.2011 एवं 686/हि0शा0 दिनांक 29.03.2011 के द्वारा जप्ती सूची के अनुसार जप्त सामान (खाद्यान्न 56+48=104 बोरा) गेहूँ के साथ– साथ उक्त गेहूँ सें लदा हुआ ट्रक नं0–JH-03D-4501 के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा के साथ–साथ उक्त खाद्यान्न गेहूँ को चूहा एवं कीड़ा तथा वर्षा से बर्बाद होने की भी सम्भावना बताया गया है।

अतः उक्त कथित खाद्यान्न गेहूँ 104 बोरा जो ट्रक नं0–JH-03D-4501 पर लदा हुआ थाना परिसर में ट्रक सहित जप्त है, की विधिवत निलामी की प्रक्रिया के तहत खुले डाक कराकर सर्वोच्च डाक वक्ता के द्वारा लगायी गयी

बोली की राशि को इस वाद के निस्तार होने तक सरकार खजाना में सुरक्षित रखा जाय और इस वाद के निर्णय होने पर जिस पक्ष कार के पक्ष में निर्णय हो उसको भुगतान करने की प्रक्रिया अपनायी जाय। इस आदेश का अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के पर्यवेक्षण में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरउंटारी के द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा और कृत कार्रवाई की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, नगरउंटारी के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरउंटारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरउंटारी को आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई कर अनुपालन करने हेतु दी जाय और उनके द्वारा कृत कार्रवाई की कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 12:20:11 +05:30
Location: 192.168.43.218